न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/16

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै. गोयल ट्रेडर्स, प्रो. राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल, वार्ड नं 11, बैंक रोड पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 18.10.2016**

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश कमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.05.2015 को 01:15 पी.एम. पर वास्ते चैकिंग मै. गोयल ट्रेडर्स, पदमपुर पहुंचे वहां प्रो. श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल गाय का हटसन घी विक्रय कर रहा था, जो कि करीब 20 पैकेट गाय का हटसन घी था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 4 पैकेट गाय का हटसन घी वास्ते नमूना जांच संख्या के–541 चार साफ सूखे एवं खाली बर्तन में 500 ग्राम के हिसाब से लिया और खरीद शुदा घी की कीमत अखरे रूपये 1400/– श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल को गवाह श्री मदनलाल एवं श्री राकेश सचदेवा के सामने देकर रसीद प्राप्त की। श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा घी को चार साफ सूखी व खाली शिशियों में बराबर बराबर डाल कर प्रत्येक शीशी में 40–40 बूदें फार्मलीन की डाल कर डाट लगाया और लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–541 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया। प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–541 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह श्री मदनलाल एवं राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड पैकेटों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–541 की एक सील्ड पैकेट को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–541 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1496/एक्ट/2015/383 दिनांक 08.06.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–541 गाय का हटसन घी सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक 4383 दिनांक 01.04.2016 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 20.04.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त को जरिए नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल स्वयं तथा उसके अधिवक्ता श्री रजीराम वर्मा उपस्थित हुआ। जवाब पेश नहीं किया तथा निवेदन किया कि नरमी का रूख अपनाते हुए उसके प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल से लिया गया गाय का हटसन घी का सैम्पल के–541 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1496/एक्ट /2015/383 दिनांक 08.06.2015 द्वारा सब स्टैण्डर्ड (अमानक) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1496/एक्ट /2015/383 दिनांक 08.06.2015 में गाय का हटसन घी का सैम्पल सं0 के–541 लेने का विवरण दर्ज है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Physical Report के बिन्दु संख्या 3 Label के सब बिन्दु संख्या 5 Symbol for veg./ non veg. - = Green symbol given having rectangular shape (**not as per norms**) एवं सब बिन्दु संख्या 06 Nutritional information - = Given Calories 130, Calories from fat 130, Amount per Serving -1 Table Spoon (14g) - **Word Energy & Energy in Kcal not mentioned** इसी प्रकार Quaity Characteristics के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Butyro refractometer reading at 40^0C की **41.0 to 44.0 %** होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार 40.00 % पाया गया है।

Lamo

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

02/2016 — अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

AS/3

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया गाय का हटसन घी का सैम्पल **सबस्टैण्डर्ड** (अमानक) (misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety abd Standards Act, 2006) पाया गया है। जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री राकेश कुमार पुत्र मुकन्दी लाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/X/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)